न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: गितेश श्री मालवीया, आर.ए.एस.)

प्रार्थी

श्री डूंगरसिंह पुत्र श्री सुमेरदान, जाति- चारण, निवासी- उड, तहसील व जिला-सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

(1) श्री डायालाल पुत्र देवीचंद जी, जाति- जैन, निवासी- उड, तह. व जिला- सिरोही
(2) सरपंच, ग्राम पंचायत, उड, तहसील व जिला- सिरोही
(3) सचिव, ग्राम पंचायत, उड, तहसील व जिला- सिरोही

पंचायत निगरानी संख्या: 23/2016

"निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994"

उपस्थिति:

1. अधिवक्ता श्री राजेन्द्र कुमार पुरी, प्रार्थी की ओर से
2. अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेडतिया, अप्रार्थी संख्या- 1 (एक) की ओर से

-: निर्णय :- **दिनांक 09 मार्च, 2021**

(1) संक्षिप्त मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी की ओर से यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, उड द्वारा श्री देवीचन्द पुत्र शिवलाल जी जैन, निवासी- उड के पक्ष मे 2880 वर्गफीट आबादी भूखण्ड का जारी पट्टा संख्या 16 दिनांक 31.12.1961 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये एवं ग्राम पंचायत, उड से प्रश्नगत पट्टे से संबंधित रेकर्ड तलब किया गया। निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या-1(एक) की ओर से अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेडतिया उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्या-1 (एक) की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। जबकि अप्रार्थी संख्या- 2 को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नही हुये। प्रकरण मे नियत सुनवाई तिथि 14.2.2017 को अप्रार्थी संख्या-3 इस न्यायालय मे उपस्थित हुये, लेकिन उसके बाद अप्रार्थी संख्या-3 भी इस न्यायालय मे उपस्थित नही हुये एवं न ही अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से जवाब प्रस्तुत हुआ।

(3) उभय पक्ष की बहस सुनी गई। बहस के दौरान प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री पुरी ने निगरानी आवेदन मे अंकित तथ्यो की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत, उड द्वारा देवीचंद पुत्र शिवलाल जी जैन, निवासी- उड के पक्ष मे क्षेत्रफल 2880 वर्गफीट आबादी भूमि का पट्टा संख्या 16 दिनांक 31.12.1961 को जारी होना बताकर अप्रार्थी डायालाल द्वारा प्रार्थी डूंगरसिंह की भूमि मे जबरदस्ती कब्जा करना चाहता है। ग्राम पंचायत, उड द्वारा देवी[illegible] जैन के पक्ष मे जारी पट्टा विधि सम्मत नही है। पट्टा दिनांक 31.1[illegible]61 [illegible] जारी किया गया है, जबकि दिनांक 31.12.1961 को रविवार [illegible] राजकीय [illegible] के दिन पट्टा जारी नही

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.06.09 17:07:54 IST
Reason: SelfAttested

.....पेज

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

किया जा सकता है। प्रश्नगत पट्टा विलेख में यह स्पष्ट अंकित किया है कि दिनांक 21.7.1960 को धर्मा पुत्र तेजाजी द्वारा भूमि को क्रय करने के लिये आवेदन किया था जिस पर विक्रेता की ओर से राशि रुपये 406/- रुपये उच्चतम बोली होने से उक्त भूमि खरीद की गई। इससे स्पष्ट है कि प्रश्नगत पट्टे की भूमि को धर्मा पुत्र तेजाजी ने क्रय किया था, जबकि पट्टा विलेख में मिसल संख्या 18 व दायर दिनांक 21.7.1960 बताई गई है। दिनांक 21.7.1960 को भूमि क्रय करने हेतु धर्मा पुत्र तेजाजी ने आवेदन किया तो देवीचंद पुत्र शिवलाल जी जैन द्वारा भूमि की मांगनी करना बताया है, वह गलत है। भूमि कब नीलामी की गई थी ऐसी कोई दिनांक, महिना कई पर भी अंकित नही है एवं न ही ग्राम पंचायत द्वारा कोई प्रस्ताव पास किया गया। ग्राम पंचायत, उड द्वारा प्रश्नगत पट्टा विलेख किसी प्रस्ताव की अनुपालना में जारी किया गया है उसका अंकन प्रश्नगत पट्टे में नही है। यह कि अप्रार्थी डायालाल के पिता देवीचन्द जी ने विवादित भूमि नीलामी में खरीद की होती तो नीलामी के समय 1/4 राशि मौके पर जमा करवानी पडती है जबकि उक्त भूमि दिनांक 21.7.1960 को नीलाम हुई है एवं राशि रुपये 406/- जरिये रसीद संख्या 15 दिनांक 05.10.1960 को जमा होना पट्टा विलेख में अंकित है। इससे स्पष्ट है कि नीलामी के एक वर्ष बाद नीलामी की राशि जमा हुई है, जबकि 1/4 राशि मौके पर ही जमा करानी कानूनन आवश्यक है एवं शेष राशि 15 दिन बाद जमा करवानी होती है। यह कि प्रश्नगत पट्टे की पुस्त भाग पर सचिव, ग्राम पंचायत, उड के हस्ताक्षर नही है, केवल देवीचंद के हस्ताक्षर व अंगूठा नीशानी के स्थान पर भूरी बाई की अंगूठा नीशानी अंकित है। यह कि प्रश्नगत पट्टे को बालमुकुन्द नाम के व्यक्ति ने ग्राम पंचायत से प्राप्त किया है, न कि क्रेता देवीचन्द द्वारा प्राप्त किया गया है। यह कि अप्रार्थी डायालाल के पिता देवीचंद जी का प्रश्नगत पट्टे की भूमि पर कभी भी कब्जा नही रहा है। मौके पर प्रार्थी डूंगरसिंह काबिज है एवं मौके पर प्रार्थी डूंगर सिंह का पक्का निर्माण किया हुआ है। अप्रार्थी डायालाल के पिता के नाम से जारी प्रश्नगत पट्टा विलेख की भूमि में जो नाप उत्तर दक्षिण 80 फीट व पूर्व में 38 फीट व पश्चिम में 34 फीट कुल नाप 2880 वर्गफीट होना अंकित किया है, उस नाप के अनुसार मौके पर भूमि स्थित नही है एवं न ही ऐसा कोई भूखण्ड अस्तित्व में है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रश्नगत पट्टे को निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थी डायालाल के विद्वान अधिवक्ता श्री मेडतिया ने अप्रार्थी डायालाल की ओर से प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अप्रार्थी डायालाल के पिता श्री देवीचंद पुत्र शिवलाल जी जैन, निवासी- उड ने ग्राम पंचायत, उड से क्षेत्रफल उत्तर-दक्षिण 80 फीट, पूर्व 38 फीट एवं पश्चिम 34 फीट कुल क्षेत्रफल 2880 वर्गफीट आबादी भूखण्ड को आम नीलामी में ग्राम पंचायत, उड से क्रय किया था जिसका ग्राम पंचायत, उड द्वारा श्री देवीचन्द पुत्र शिवलाल जी जैन, निवासी- उड के पक्ष में पट्टा संख्या 16 दिनांक 31.12.1961 को जारी किया गया है। इस पट्टा संख्या 16 दिनांक 31.12.1961 के भूखण्ड के उत्तर दिशा में मकान धरमा कस्सार वर्तमान में गीतादेवी पत्नि प्रकाश सुआरा, दक्षिण दिशा में नाला बरसाती [illegible] वर्तमान में डूंगरसिंह स्वयं का मकान है, पूर्व दिशा में आम रास्ता [illegible] पश्चिम दिशा में आम रास्ता

....पेज तीन पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.06.09 17:07:54 IST
Reason: SelfAttested

स्थित है। इस पट्टेशुदा भूखण्ड पर अप्रार्थी डायालाल व श्री देवीचन्द शिवलाल जी जैन, निवासी- उड के अन्य वारिसान मौके पर काबिज होकर भूखण्ड उपयोग व उपभोग कर रहे थे, लेकिन प्रार्थी डूंगर सिंह ने ग्राम पंचायत उड के तत्कालीन सरपंच से मेलमिलाप कर श्री देवीचन्द के इस पट्टे स्वामित्व के भूखण्ड का पुनः प्रार्थी डूंगर सिंह ने स्वयं के नाम से पट्टा संख्या 25 दिनांक 20.5.2014 को जारी करवा लिया। जिसके संबंध मे अप्रार्थी डायालाल द्वारा प्रार्थी डूंगरसिंह व सरपंच, ग्राम पंचायत उड के विरुद्ध एक फौजदारी मुकदमा धारा 420, 467, 468, 471, 166, 167 व 120 बी भारतीय दण्ड संहिता के तहत दर्ज करवाया है जिसमे पुलिस ने प्रार्थी डूंगरसिंह को गिरफतार किया एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से उसकी जमानत हुई। अप्रार्थी डायालाल के पुश्तैनी भूखण्ड पर प्रार्थी द्वारा अवैध रुप से अतिक्रमण कर कब्जा किया है जिस हेतु कब्जा प्राप्ति का वाद सिविल न्यायालय, सिरोही मे अप्रार्थी डायालाल द्वारा प्रस्तुत किया है जो विचाराधीन है। सिवलि न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश के द्वारा प्रार्थी डूंगरसिंह व उसके एजेन्टो आदि को पाबन्द किया है। प्रार्थी डूंगरसिंह द्वारा अप्रार्थी डायालाल के पुश्तैनी पट्टेशुदा भूखण्ड का पट्टा संख्या 25 दिनांक 25.10.2014 को ग्राम पंचायत, उड से मेल मिलाप कर प्राप्त करने से उक्त पट्टा संख्या 25 दिनांक 25.10.2014 को निरस्त कराने हेतु इस न्यायालय मे निगरानी आवेदन प्रस्तुत हुआ था उस पंचायत निगरानी संख्या 36/2015 मे बाद सुनवाई पक्षकारान न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.3.2016 के अनुसार ग्राम पंचायत, उड द्वारा डूंगर सिंह पुत्र सुमेरदान, जाति- चारण, निवासी- उड के पक्ष मे जारी पट्टा संख्या 25 दिनांक 25.10.2014 को निरस्त किया गया है, लेकिन प्रार्थी डूंगर सिंह ने उस समय पट्टा संख्या 16 दिनांक 31.12.1961 के संबंध मे कोई आपत्ति नही की। यह कि प्रश्नगत पट्टे की भूमि को अप्रार्थी डायालाल के पिता देवीचन्द जी द्वारा आम नीलामी मे ग्राम पंचायत, उड से क्रय किया है, जिसके संबंध मे आपत्ति करने का प्रार्थी डूंगरसिंह को कोई हक अधिकार नही है। ग्राम पंचायत, उड द्वारा प्रार्थी डूंगरसिंह के पक्ष मे जारी पट्टा संख्या 47 दिनांक 05.10.2001 के उत्तर दिशा मे देवीचन्द जी जैन का मकान होना अंकित किया हुआ है, इससे स्पष्ट है कि प्रार्थी डूंगरसिंह के पट्टा संख्या 47 दिनांक 05.10.2001 की भूमि के पडौस मे अप्रार्थी डायालाल के पिता देवीचन्द जी के मालकी तथा कब्जे का भूखण्ड स्थित है। इसी तरह, अप्रार्थी के पिता देवीचन्द जी के भूखण्ड के पडौसी गीतादेवी के पक्ष मे ग्राम पंचायत, उड द्वारा जारी पट्टे के दक्षिण दिशा की पडौस मे देवीचन्द जी का मकान व भूखण्ड होना बताया है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि प्रार्थी डूंगरसिंह पुत्र सुमेरदान जी चारण, निवासी- उड के पक्ष मे जारी पट्टा संख्या 47 दिनांक 05.10.2001 व ग्राम पंचायत, उड द्वारा श्रीमती गीता के पक्ष मे जारी पट्टे की भूमि के मध्य श्री देवीचन्द पुत्र शिवलाल जी, जाति-जैन, निवासी- उड का मकान व भूखण्ड आया हुआ है। यह कि धर्मा पुत्र तेजाजी द्वारा भूमि क्रय हेतु आवेदन करना व आम नीलामी मे धर्मा पुत्र तेजाजी द्वारा भूखण्ड क्रय करने का कथन गलत है, बल्कि देवीचन्द जी द्वारा उक्त भूखण्ड नीलामी मे खरीद किया था तथा दिनांक 21.7.1960 को नी[illegible] तथा देवीचंद जी क्रेता की ओर से रुपये 406/- की उच्च[illegible] देवीचन्द जी द्वारा

...पेज चार पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.06.09 17:07:54 IST
Reason: SelfAttested

पंचायत कोष मे राशि जमा करवाकर नीलामी में खरीद किया है। इस नीलामी के अनुसरण मे ग्राम पंचायत, उड द्वारा जारी पट्टे को बालमुकुन्द नाम के व्यक्ति ने ग्राम पंचायत, से केवल प्राप्त कर प्राप्ति स्वरुप हस्ताक्षर पट्टा रजिस्टर मे किये है। यह कि प्रश्नगत पट्टा संख्या 16 दिनांक 31.12.1961 को जारी हुआ है, जो करीब 60 वर्ष पूर्व जारी हुआ है एवं प्रार्थी डूंगरसिंह द्वारा यह निगरानी आवेदन प्रस्तुत करने के समय डूंगरसिंह स्वयं की उम्र मात्र 52 वर्ष बताई है, इससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थी डूंगरसिंह के जन्म से 6 वर्ष पूर्व ग्राम पंचायत, उड द्वारा देवीचन्द पुत्र शिवलाल जी जैन, निवासी- उड के पक्ष में पट्टा संख्या 16 दिनांक 31.12.1961 को जारी किया गया है। यह कि प्रश्नगत पट्टा संख्या 16 दिनांक 31.12.1961 से संबंधित रेकर्ड यथा पट्टा बही व पट्टा रजिस्टर इस न्यायालय में भिजवाया है जिसमें प्रश्नगत पट्टा संख्या 16 दिनांक 31.12.1961 की पंचायत कार्यालय की प्रति उपलब्ध है एवं पट्टा रजिस्टर मे भी पट्टा संख्या 16 दिनांक 31.12.1961 का उल्लेख है। यह कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 के अनुसार 30 वर्ष पुराने दस्तावेज की विश्वसनीयता पर संदेह नही किया जा सकता है। अप्रार्थी डायालाल के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह भी व्यक्त किया कि प्रार्थी डूंगर सिंह ने इस निगरानी आवेदन में श्री देवीचन्द पुत्र शिवलाल जी जैन, निवासी- उड के अन्य विधिक वारिसानों को पक्षकार नही बनाया है, इस प्रकार पक्षकारों के कुंसयोजन के आधार पर भी निगरानी आवेदन खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थी डायालाल के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान विधिक दृष्टान्त 2012(2)DNJ(Raj) Page 602, 2008(2) CT(Raj) Page 1031, 2015(4)DNJ(Raj) Page 1853, 2002(1)RRT Page 434 में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह भी व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत, उड द्वारा अप्रार्थी डायालाल के पिता देवीचन्द जी पुत्र शिवलाल जी, जाति- जैन, निवासी- उड के पक्ष में पट्टा संख्या 16 दिनांक 31.12.1961 को जारी किया गया है एवं यह पट्टा जारी होने के करीब 56 वर्ष बाद प्रार्थी ने यह निगरानी आवेदन इस न्यायालय में पट्टा संख्या 16 दिनांक 31.12.1961 को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किया गया है, जो अतिशय विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन कानूनन परिपोषणीय नही होने से खारिज किया जावे।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया गया कि ग्राम पंचायत, उड द्वारा श्री देवीचन्द पुत्र शिवलाल जी जैन, निवासी- उड के पक्ष में क्षेत्रफल 2880 वर्गफीट आबादी भूखण्ड का पट्टा संख्या 16 दिनांक 31.12.1961 को जारी किया गया है। ग्राम पंचायत, उड द्वारा प्रस्तुत पट्टा बही मे उपलब्ध इस पट्टा संख्या 16 दिनांक 31.12.1961 की पंचायत कार्यालय प्रति के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि श्री देवीचन्द पुत्र शिवलाल जी जैन, निवासी- उड द्वारा इस भूखण्ड को ग्राम पंचायत, उड से दिनांक 21.7.1960 को आम नीलामी मे अधिक बोली लगाकर क्रय किया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो (जो अप्रार्थी [illegible] की ओर से प्रस्तुत हुए है) के अवलोकन से यह भी स्पष्ट [illegible] ग्राम पंचायत [illegible] द्वारा [illegible] गीतादेवी [illegible] जेज पांच पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.06.09 17:07:54 IST
Reason: SelfAttested

पत्नि प्रकाश जी सुआरा, निवासी- उड के पक्ष मे जारी पट्टा संख्या 50 दिनांक 20.12.2010 मे दर्ज चतुर्दशी मे दक्षिण दिशा मे श्री देवीचन्द जैन का मकान अंकित किया हुआ है एवं ग्राम पंचयत, उड द्वारा अप्रार्थी डूंगरसिंह पुत्र श्री सुमेरदान (प्रार्थी) के पक्ष मे जारी पट्टा संख्या 47 दिनांक 05.10.2001 मे दर्ज चतुर्दशी मे उत्तर दिशा मे जैन देवीचन्द का प्लॉट अंकित है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि श्री देवीचन्द पुत्र शिवलाल जी जैन, निवासी- उड के उक्त पट्टेशुदा भूखण्ड की भूमि का ग्राम पंचायत, उड द्वारा श्री डूंगर सिंह पुत्र सुमेरदान जी, जाति- चारण, निवासी- उड के पक्ष मे पट्टा संख्या 25 दिनांक 20.5.2014 को जारी किया जाने पर इस पट्टा संख्या 25 दिनांक 20.5.2014 को निरस्त कराने हेतु श्री कमलसिंह पुत्र श्री नारायण सिंह, जाति- चारण, निवासी- उड द्वारा ग्राम पंचायत, उड व डूंगर सिंह पुत्र सुमेरदान जी, जाति- चारण, निवासी- उड के विरुद्ध इस न्यायालय (अतिरिक्त जिला कलक्टर न्यायालय, सिरोही) मे राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जो इस न्यायालय मे पंचायत निगरानी संख्या: 36/2015 पर दर्ज होकर बाद सुनवाई पक्षकारान इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.3.2016 के अनुसार निगरानी आवेदन को स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, उड द्वारा श्री डूंगरसिंह पुत्र श्री सुमेरदान, जाति- चारण, निवासी- उड के पक्ष मे क्षेत्रफल 2500 वर्गफीट भूमि का जारी पट्टा संख्या 25 दिनांक 20.5.2014 को निरस्त किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि श्री देवीचन्द पुत्र शिवलाल जी जैन, निवासी- उड के पट्टा संख्या 16 दिनांक 31.12.2016 के भूखण्ड की भूमि का श्री डूंगर सिंह पुत्र श्री सुमेर सिंह, जाति- चारण, निवासी- उड द्वारा ग्राम पंचायत, उड से पट्टा संख्या 25 दिनांक 20.5.2014 जारी करवाने पर डायालाल पुत्र देवीचन्द जी जैन, निवासी- उड द्वारा श्री डूंगर सिंह पुत्र श्री सुमेरदान, जाति- चारण, निवासी- उड व अन्य के विरुद्ध माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिरोही मे सी.आर.पी.सी. की धारा 156(3) के तहत इस्तगासा प्रस्तुत किया था। जिस पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471, 166, 167, 120 बी के तहत पुलिस थाना, बरलुट मे श्री डूंगरसिंह पुत्र श्री सुमेरसिंह, जाति- चारण, निवासी- उड व अन्य के विरुद्ध अपराध संख्या (प्रथम सूचना रिपोर्ट) 132 दिनांक 03.9.2015 दर्ज हुआ, जिसमे बाद अनुसंधान पुलिस थाना, बरलुट द्वारा माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग, सिरोही मे श्री डूंगरसिंह पुत्र श्री सुमेरसिंह, जाति- चारण, निवासी- उड व अन्य के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था। इस प्रकार, इन दस्तावेजो के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, उड द्वारा श्रीमति गीतादेवी पत्नि प्रकाश जी सुआरा, निवासी- उड के पक्ष मे जारी पट्टा संख्या 50 दिनांक 20.12.2010 के दक्षिण दिशा मे एवं ग्राम पंचयत, उड द्वारा अप्रार्थी डूंगरसिंह पुत्र श्री सुमेरदान के पक्ष मे जारी पट्टा संख्या 47 दिनांक 05.10.2001 के उत्तर दिशा मे देवीचन्द जैन का भूखण्ड स्थित है, जिसके पट्टा संख्या 16 दिनांक 31.12.1961 है। प्रकरण मे यह तथ्य भी स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, उड से श्री देवीचन्द पुत्र शिवलाल जी जैन, निवासी- उड [illegible] 2880 वर्गफीट आबादी भूखण्ड को आम नीलामी मे [illegible] था, जिसका

....पेज छः पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.06.09 17:07:54 IST
Reason: SelfAttested

सिरोही (राज.)

ग्राम पंचायत, उड द्वारा पट्टा संख्या 16 दिनांक 31.12.1961 को जारी किया गया है एवं प्रार्थी - डूंगर सिंह पुत्र श्री सुमेरसिंह, जाति- चारण, निवासी- उड ने इस पट्टा संख्या 16 दिनांक 31.12.1961 को निरस्त कराने हेतु पट्टा जारी होने के 54 वर्ष के अधिक समय बाद यह निगरानी आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है, जो अतिशय विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में, उपर्युक्त सभी तथ्यों के विवेचन के अनुसार प्रार्थी का निगरानी आवेदन खारिज किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।

09/3/2021

(गितेश श्री मालवीया)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.06.09 17:07:54 IST
Reason: SelfAttested